न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

डॉ0 मधु खरे

सदस्य

विविध प्रकरण क्रमांक 844–दो/2011

महिला हरदीप कौर पत्नि सुखवीर सिंह
ग्राम खरवाया (चकगढ़ला) तहसील
पोहरी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– अरूण सिंह पुत्र बलवीर सिंह
2– कमलजीत सिंह पुत्र बसबिंदर सिंह
3– गुरूजीत सिंह पुत्र अमरीक सिंह
मुख्त्यारआम अमरीकसिंह पुत्र
श्रीपाल सिंह सरदार
4– राज सुरेन्द्र कौर पुत्री जसबंतसिंह
सभी निवासी ग्राम खरवाया(चकगढ़ला)
तहसील पोहरी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(श्री कुँवर सिंह कुशवाह अभिभाषक – आवेदक)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

अ ा दे श

(आज दिनांक 5 नवम्बर 2015 को पारित)

न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1014/III/2008 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02.09.2008 का अनावेदकगण व्दारा पालन नहीं करना बताते हुये न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 10 सहपठित 12 के अंतर्गत यह आवेदन विविध आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार पोहरी के समक्ष म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 190/110 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग की कि ग्राम खरवाया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3 रकबा 0.95 है., 4 रकबा 0.38 है., 5 रकबा 0.43है.

7 रकबा 15 है., 8 रकबा 0.15 है. कुल किता 5 कुल रकबा 2.06 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर उसका 20 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है इसलिये संहिता की धारा 190/110 के अंतर्गत उसे भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं , भूमिस्वामी घोषित कर नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 1/99-2000/31-46 में पारित आदेश दिनांक 29.6.2000 से वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र-1 से 3 ने अनुविभागीय अधिकारी, पोहरी के समक्ष अपील क्रमांक 4/04-05 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 12-3-2007 से अपील अस्वीकार हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील क्रमांक 199/2006-07 प्रस्तुत होने पर आदेश दि. 30.7.08 से अपील स्वीकार की गई एंव दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये अनावेदक क्र. 1 से 3 के हक में वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण करने के निर्देश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 1014/III/2008 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02.09.2008 से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर स्थगन दिया गया। आवेदक के विविध आवेदन के तथ्यों अनुसार अनावेदकगणों को स्थगन की जानकारी होने के वाद भी दिनांक 6-10-2010 को वादग्रस्त आराजी महिला प्रीतकमल पुत्री कमलजीत सिंह सिक्ख को विक्रय कर दी गई एंव ग्राम पंचायत व्दारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण भी कर दिया गया। आवेदक द्वारा विविध आवेदन प्रस्तुत कर अनावेदक क्रमांक 1,2,3 व्दारा अंतरिम आदेश दि. 02.09.08 की अवज्ञा करना बताते हुये यह विविध आवेदन दिया गया है।

4/ अवमानना वावत् प्रस्तुत विविध आवेदन में दर्शाए गए

तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण क्रमांक 1014-तीन/2008 निगरानी में दिनांक 2-9-08 को अंतरिम आदेश इस प्रकार दिया गया है :-

- **आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह को ग्राह्यता एंव स्थगन के बिंदु पर सुना गया।**
  २- निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाती है अभिलेख तलब हों। अनावेदक आहुत हो। अन्य आदेश तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का कियान्वयन स्थगित किया जाता है।
  3- प्रकरण दिनांक 23-10-08 को पेश हो। *

दिनांक 02-09-2008 को अनावेदक उपस्थित नहीं है अर्थात एकपक्षीय रूप से स्थगन दिया गया था। आवेदक के अभिभाषक ने विविध आवेदन में दिये गये विवरण वावत् मौखिक तर्को में बताया कि उन्होंने अंतरिम आदेश दिनांक 2-9-08 की सूचना तहसील में एंव ग्राम पंचायत में दी है फिर भी ग्राम पंचायत ने नामान्तरण करने में भूल की है इसी प्रकार अपर आयुक्त के आदेश का अमल शासकीय अभिलेख में करने में भी भूल की गई है, परन्तु आवेदक के अभिभाषक अंतरिम आदेश दिनांक 2-9-08 के तहसील में अथवा ग्राम पंचायत में दिये जाने वावत् कोई दस्तावेज पुष्टिकरण में प्रस्तुत नहीं कर सके हैं जिससे यह परिलक्षित होता हो कि आवेदक ने अंतरिम आदेश दिनांक 2-9-08 की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ तहसील में एंव ग्राम पंचायत में यथा-समय दे दीं हैं , जिसके कारण आवेदक अभिभाषक व्दारा अवमानना वावत् दिये गये विविध आवेदन के तथ्य संदेह की परिधि में हैं। इसके अतिरिक्त अवमानना आवेदन में स्थगन आदेश होते हुये भी नामांतरण/ विक्रय पत्र सम्पादित करने के लिये तहसील, ग्राम पंचायत तथा

उप पंजीयक को जिम्मेदार बताया है परन्तु यह अवमानना याचिका अनावेदकगणों के विरूद्ध लाई गई है। तहसील, ग्राम पंचायत, उप पंजीयक के विरूद्ध अवमानना याचिका नहीं लगाई है और न ही उन्हें पक्षकार बनाया है। स्थगन एकपक्षीय दिया गया था , जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अनावेदकगणों को स्थगन आदेश की जानकारी कब हुई थी। जिन अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना सम्बन्धी कार्यवाही चाही है, उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया गया है, जिसके कारण आवेदक की ओर से प्रस्तुत विविध आवेदन विचार योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक व्दारा न्यायालय अवमान अधिनियम , 1971 की धारा 10 सहपठित 12 के अंतर्गत प्रस्तुत यह विविध आवेदन इसी-स्तर पर अमान्य किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर